

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1564
09.02.2026 को उत्तर के लिए

असम में जलवायु-संवेदनशाल जिलों के लिए जलवायु अनुकूलन और सहायता

1564. श्री गौरव गोगोई :

मोहम्मद रकीबुल हुसैन

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के बार-बार आने वाली बाढ़ और नदी तट कटाव से प्रभावित जलवायु-संवेदनशील जिलों की पहचान की गई है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) ऐसे जिलों में लागू किये जा रहे जलवायु अनुकूलन और जोखिम-निवारण उपाय क्या हैं;
- (ग) असम में बाढ़ और कटाव से विस्थापित या प्रभावित परिवारों के स्थानांतरण, पुनर्वास, आवास और आजीविका सहायता सहित प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है;
- (घ) जलवायु-प्रेरित विस्थापन से निपटने के उपायों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्रामीण विकास और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालयों और असम राज्य सरकार के बीच समन्वय तंत्र का ब्यौरा क्या है;
- (ङ) क्या केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ और नदी कटाव प्रबंधन का अध्ययन करने के लिए कोई समिति या विशेषज्ञ निकाय गठित किया है; और
- (च) राज्य में बाढ़ और नदी कटाव के स्थायी समाधान के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री

(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (च) बाढ़ की घटना के लिए विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसमें समय और स्थान दोनों में वर्षा में व्यापक भिन्नता सहित सामान्य स्वरूप से बार-बार प्रस्थान, नदियों की अपर्याप्त वहन क्षमता, नदी के किनारे का कटाव और नदी के तल में गाद, भूस्खलन, बाढ़ संभावित क्षेत्रों में खराब प्राकृतिक जल निकासी, बर्फ पिघलना और हिमनद झील का प्रकोप शामिल है। भारी बाढ़ के कारण होने वाला मृदा अपरदन चिंता का विषय है क्योंकि इससे नदी के मार्ग में परिवर्तन, भूमि को नुकसान आदि जैसी अनेक संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईआईटी) द्वारा ब्रह्मपुत्र सहित प्रमुख नदियों के लिए आकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन नदियों

की प्रकृति को व्यापक रूप से समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और आधार वर्ष के संबंध में विभिन्न क्षेत्रों में डिकॉडल तटरेखा की गति, कटाव और निक्षेपण का आकलन प्रदान करते हैं। इन अध्ययनों को सूचित निर्णय लेने और भविष्य की योजना बनाने के लिए संबंधित राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों आदि के साथ साझा किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी के माध्यम से केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) द्वारा किए गए ब्रह्मपुत्र नदी के आकृति विज्ञान संबंधी अध्ययन के अनुसार, यह अनुमान लगाया गया है कि ब्रह्मपुत्र नदी में, वर्ष 2003-05 और वर्ष 2008-11 के बीच कुल 252.6 वर्ग किमी का कटाव और 118.6 वर्ग किमी का निक्षेपण हुआ है।

वर्ष 1986 से वर्ष 2022 तक के उपग्रह इमेजरी डेटा से “भारत में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन 2024” पर सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार, असम में कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 2.477 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें 35 में से 33 जिले शामिल हैं।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाओं की योजना तथा कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि केंद्र सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के तहत तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता के माध्यम से इन प्रयासों को पूरा करती है। भारत सरकार ने एकीकृत बाढ़ दृष्टिकोण अपनाया है जिसका उद्देश्य आर्थिक लागत पर बाढ़ के नुकसान से उचित स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों का विवेकपूर्ण तरीका अपनाना है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के तहत असम को केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है तथा बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के रूप में इसकी निरंतरता है। असम में कुल 111 एफएमपी और एफएमबीएपी पूरे हो चुके हैं और एक परियोजना चल रही है।

राज्य सरकार बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन भी करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में शामिल किए गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर आकलन शामिल है।

इसके अलावा, बाढ़ पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी सेवाओं जैसे गैर-संरचनात्मक उपाय सीडब्ल्यूसी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। बाढ़ के उपशमन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में बाढ़ के मैदानों और इसके क्षेत्र निर्धारण का वैज्ञानिक आकलन करने में राज्यों को सक्षम बनाने के लिए, जल शक्ति मंत्रालय ने अगस्त 2025 में बाढ़ के मैदान क्षेत्र निर्धारण पर दिशानिर्देश तैयार किए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए हैं।

प्रभावित लोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और अन्य कारकों के कारण विस्थापित हो सकते हैं। भारत के लिए ऐसा कोई प्रमाणित अध्ययन नहीं है जो लोगों के विस्थापन को शुरू करने वाले जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों का मात्रात्मक विश्लेषण प्रदान करे। जबकि कई अध्ययन पर्यावरण में चरम घटनाओं की निगरानी करते हैं, इन परिवर्तनों के विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होने का विज्ञान कहीं अधिक जटिल है और वर्तमान में एक परिवर्तनशील विषय है। भारत सरकार ने ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तटबंध कटाव के नियंत्रण के लिए उपायों की योजना और एकीकृत कार्यान्वयन तथा उससे जुड़े मामलों के उद्देश्य से संसद के एक अधिनियम ब्रह्मपुत्र बोर्ड अधिनियम, 1980 (1980 का 46) द्वारा ब्रह्मपुत्र बोर्ड का गठन किया।